

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक-3/प.क./सेल-1/2016 / 1252
प्रति,

भोपाल,दिनांक 30-11-2016


1. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
3. समस्त सिविल सर्जन-सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।

विषय:- समयमान, वेतनमान का लाभ दिये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-11/1/2008/नियम/चार दिनांक 24 जनवरी 2008 एवं क्रमांक एफ-11-17/2014/नियम/चार दिनांक 30 सितम्बर 2014.

विषयान्तर्गत शासन के संदर्भित परिपत्र अनुसार तृतीय समयमान वेतन (Time Scale Pay) का नियमानुसार लाभ कर्मचारियों को दिये जाने का निर्देश है। इस संबंध में प्रांताध्यक्ष, मध्यप्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने ज्ञापन दिनांक 22.10.2016 द्वारा अवगत कराया है कि उक्त आदेश का पालन नहीं किये जाने के कारण कर्मचारियों को आर्थिक हानि हो रही है।


अतः निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतन (Time Scale Pay) का नियमानुसार लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित करें।


संचालक (परिवार कल्याण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक-3/प.क./सेल-1/2016 /
प्रतिलिपि:-

भोपाल,दिनांक

प्रांताध्यक्ष/उप प्रांताध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, जी-8/90, न्यू 228 क्वार्टर्स, साउथ टी.टी. नगर, भोपाल की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 197 दिनांक 22.10.2016 के अनुक्रम में सूचनार्थ।


संचालक (परिवार कल्याण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश